रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 162] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19, 1970/भाद्र 28, 1892

No. 162] DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 1970/BHADRA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 19th September 1970

G.S.R. 1687.—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. 64-Customs, dated the 1st July, 1970, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, serial No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 90/F, No. 15/3/70-Cus.VI.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क

अधिसूचना

नई दिल्ली 19 सितम्बर, 1970

सा० का० नि० **1687**.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 64—सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियां लुप्त कर दी जाएंगी।

[सं० 90/फा० सं० 15/3/70—सीमा शुल्क VI]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970